

उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत्पादन अनुभाग,
संख्या: 22/ 2020/772/सत्रह-म-2020,6-9(3)/2020
लखनऊ, दिनांक: 09 जुलाई, 2020

कार्यालय- ज्ञाप

भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-117012-2/2020-एफवाई दिनांक 08 जून, 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में भारत सरकार द्वारा नवीन केन्द्रपोषित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" परम्परा की गयी है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर वार्षिक मात्स्यिकी प्लान तैयार किये जाने, उसे अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति को प्रेषित किये जाने, जनपद स्तर पर योजना के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किये जाने आदि हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) का गठन तथा उनके दायित्वों का निर्धारण निम्नवत किया जाता है:-

(ख) जिला स्तरीय समिति (District Level Committee)

- | | |
|--|--------------|
| (1) जिलाधिकारी | - अध्यक्ष |
| (2) मुख्य विकास अधिकारी | - सदस्य |
| (3) (क) जिला कृषि अधिकारी/उप निदेशक कृषि | - सदस्य |
| (ख) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग | - सदस्य |
| (ग) परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण | - सदस्य |
| (घ) उपायुक्त मनरेगा | - सदस्य |
| (4) जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित जनपद का एक प्रगतिशील मत्स्य पालक अथवा मत्स्य कृषक (परम्परागत मछुआरा या जलकृषक) | - सदस्य |
| (5) प्रबन्धक, जिला अग्रणी बैंक | - सदस्य |
| (6) जिला प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र | - सदस्य |
| (7) मात्स्यिकी विद्यालयों/मात्स्यिकी शोध संस्थान का एक मत्स्य विशेषज्ञ जिसे जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष नामित करेगा | - सदस्य |
| (8) सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी | - सदस्य सचिव |

इसके अतिरिक्त उक्त समिति में जिलाधिकारी/अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय प्रतिनिधि नामित कर सकेंगे।

अध्यक्ष द्वारा मत्स्य पालन से सम्बन्धित जानकारी रखने वाले अधिकतम एक या दो गैर-शासकीय व्यक्तियों को भी आवश्यकतानुसार नामित किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2)

जिला स्तरीय समिति (DLC) के दायित्व-

- (1) जनपदीय वार्षिक मात्स्यिकी प्लान को तैयार करना तथा राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।
- (2) जिला स्तरीय समिति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को जनपद स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करते हुये क्रियान्वित करायेगी।
- (3) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लाभार्थीपरक/लाभार्थी समूहों की गतिविधियों से सम्बन्धित लाभार्थियों का अनुमोदन करना।
- (4) जिला स्तरीय समिति, जहां जिला परियोजना इकाईयां भारत सरकार द्वारा सृजित की गई हों, से सहायतित होगी।
- (5) जिला स्तरीय समिति जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को जनपद स्तर पर अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण सम्बन्धी गतिविधियों से आच्छादित करेगी।
- (6) जिला स्तरीय समिति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थियों के साथ बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से लिंकेज को प्रोत्साहित करेगी।

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 22 / 2020/ 772 (1) /सत्रह-म-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, कृषि विभाग/सिंचाई विभाग/ग्राम्य विकास विभाग 30प्र0 शासन।
- 2- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 3- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी 30प्र0।
- 4- निदेशक मत्स्य, 30प्र0 लखनऊ।
- 5-समस्त जिला कृषि अधिकारी/ उप निदेशक कृषि/जिला प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र/ अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, 30प्र0।
- 6- समस्त जनपदीय परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/उपायुक्त मनरेगा/प्रबन्धक जिला अग्रणी बैंक, 30प्र0।
- 7- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी 30प्र0।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एम0ए0रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।